प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2012-13 से 2015-16 तक संघ सरकार के राजस्व विभाग प्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत ''धारा 115 जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कतिपय कम्पनियों द्वारा कर का भुगतान'' की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उन उदाहरणों का उल्लेख किया गया है जो जुलाई 2016 से नवम्बर 2016 की अवधि के दौरान आयोजित 2012-13 से 2015-16 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा जांच में देखे गए।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर से प्राप्त सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है।